राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/06/752/2021-केएसपी
बीबीएनएल के अधिकारीगण के साथ दिनांक 19.08.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री सर्वेश सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल
4. श्री एम. के. विमल, निदेशक एवं संपर्क अधिकारी, दूरसंचार मंत्रालय
5. श्री के. बी. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, बीबीएनएल
6. श्री एस. एस. सचन, वरिष्ठ महाप्रबंधक, बीबीएनएल

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बीबीएनएल में ओबीसी को आरक्षण कब से दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक बीबीएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि 2015 से बीबीएनएल भर्ती शुरू की गई थी और तभी से ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है। जिसमें लेवल -1 में अभी कोई नियम नहीं है। लेकिन लेवल-2 में वर्ष 2014 से नियम बनाया हुआ है। बीबीएनएल में 67 लोगों की नियुक्ति की विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 21 लोगों का चयन किया गया था और उसमें ओबीसी के 6 लोगों का चयन हुआ था। जिसमें से 12 कर्मचारियों को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है और वित्त विभाग की ईकाई में 9 लोगों की भर्ती निकाली गई, जिसमें 3 लोगों द्वारा कार्यग्रहण किया गया और इस भर्ती में ओबीसी से कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई। वर्ष 2018 में 53 कर्मचारियों को भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। जिसमें से 12 कर्मचारियों को कैरी फॉरवर्ड किया गया और 2 ओबीसी के कर्मचारी भर्ती की भर्ती के लिये स्थान आरक्षित रखे गये। बीबीएनएल में वर्ष 2018 के बाद से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। बीबीएनएल में 16 स्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जिसमें लेवल-1 में एक अधिकारी है और लेवल-2 में 15 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं और लेवल-2 में 5 ओबीसी के अधिकारी एवं कर्मचारी है।

2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बीबीएनएल में कुल कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि बीबीएनएल में कुल 294 स्टाफ स्ट्रेंथ है। जिसमें से 117 लेवल-1 में है और 177 लेवल-2 में है।
3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि level-1 में 117 लोग हैं उसमे से स्थायी कितने हैं। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि 01 अधिकारी स्थायी है और 76 प्रतिनिय्कुति पर हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि इनमें से कुल कितने ओबीसी के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।
4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि रिटायर कर्मचारी एवं अधिकारीगण का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए होता है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि कि परामर्शदाता(कंसलटेंट) को 6 माह के लिए काम पर रखा जाता है व आवश्यकतानुसार इसे आगे बढाया जाता है।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया की कंसलटेंट का रोस्टर कहां है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि बीबीएनएल मे कंसलटेंट का रोस्टर नहीं बनता है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा मुख्य महाप्रबंधक से कहा गया कि आयोग को यह जवाब शपथ पत्र पर लिखकर प्रस्तुत करें।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि बीबीएनएल में ओबीसी का अलग से साक्षात्कार किया जाता है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि डीओपीटी के नियम के अनुसार बीबीएनएल में ओबीसी का अलग से साक्षात्कार किया जाता है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि अलग से साक्षात्कार किसलिए किया जाता है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि अलग से साक्षात्कार पारदर्शिता के लिए किया जाता है और डीओपीटी के नियम के आधार पर किया जाता है। माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि रोस्टर रजिस्टर का फॉर्मेट इस तरह से ही बनता है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि जी हां, हमारे यहां इसी प्रकार का फॉर्मेट मिला था।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि चयन समिति में ओबीसी का कोई सदस्य होता है इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया है कि चयन समिति में ओबीसी का सदस्य होता है।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बीबीएनएल में रोस्टर रजिस्टर कितनी बार रीकास्ट किया गया है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2015 में एक बार रोस्टर रीकास्ट किया गया है।
10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर का निरीक्षण कितनी बार हुआ है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2018 में एक बार रोस्टर का निरीक्षण हुआ है।
11. माननीय आयोग द्वारा एक प्रश्नावली बीबीएनएल को दी गई और उसका उत्तर 03 कार्य दिवस में उपलब्ध करने के लिए कहा गया।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध करायी जाएं।

(श्री एस. एस. सचान) **वरिष्ठ महाप्रबंधक,** **बीबीएनएल**	**(श्री के. बी. गुप्ता)** **मुख्य महाप्रबंधक,** **बीबीएनएल**
(श्री एम. के. विमल) **निदेशक एवं संपर्क अधिकारी,** **दूरसंचार मंत्रालय**	**(श्री सर्वेश सिंह)** **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,** **बीबीएनएल**

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग